भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2306
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

बिहार में खेल अवसंरचना का विकास

†2306. श्री तारिक अनवर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर आज की तिथि तक खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई), मान्यताप्राप्त अकादमियों और एथलीटों को प्रदान की गई सहायता का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिभा पहचान, एथलीटों के प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा सहायता तथा खेल अवसंरचना के प्रभावी उपयोग हेतु कार्यान्वित किए जा रहे मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष / परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार बिहार में, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में, प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं और उत्कृष्टता केंद्रों के विकास हेतु खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने या नई परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण प्रतिभा पहचान, एथलीटों के प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा सहायता तथा खेल अवसंरचना के प्रभावी उपयोग के लिए कार्यान्वित

वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा सहित खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। खेलो इंडिया स्कीम बिहार राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य खेल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, खेल प्रतिभा की पहचान और उनका पोषण तथा एथलीटों को संरचित एवं अन्य सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई), खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी), खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियों (केआईएए), खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) तथा स्कीम के अन्य घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

खेलो इंडिया स्कीम एक मांग आधारित स्कीम है। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों और अन्य पात्र निकायों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता, अवसंरचना की कमी, खेल क्षमता, कार्यान्वयन के लिए तत्परता और स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

बिहार राज्य के सीमांचल क्षेत्र सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं जैसे कि खेल अवसंरचना, खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी), खेलो इंडिया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई) तथा खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियों (केआईएए) साथ ही खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) तथा कोचों का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.khelo india.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

स्थापित समीक्षा और निगरानी तंत्र तथा राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से खेलो इंडिया स्कीम के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी की जाती है। सरकार ने प्रतिभा पहचान और विकास को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं तथा प्रतिभा पहचान और विकास पहलों के माध्यम से खेल प्रतिभा की पहचान, खेलो इंडिया केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों तथा खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियों के माध्यम से संरचित प्रशिक्षण के प्रावधान एवं कोचिंग, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा के लिए सहायता, पौष्टिक आहार और प्रतियोगिता एक्सपोजर शामिल हैं।
